FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0114 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/05/2025 21:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 13/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:36 बजे **Time To (समय तक):** 13:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/05/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/05/2025 21:27:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PARISAR KARYALYA TAHSILDAR, TAHSIL CHECHT, KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** ISHWARCHAND GAUTAM
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISHCHAND SHARMA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KHERARUDDH, CHECHAT, CHECHAT, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KHERARUDDH, CHECHAT, CHECHAT, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAGIRAT KUMAR YADAV		पिता:MEHAR CHAND YADAV	1. A-99,ANSAL TOWAN,ALWAR,RAJASTHAN,I
2	DINESH KUMAR MEENA		पिता:BHAGEERATH MEENA	1. GRAM DHAYPURA,CHECHAT,CHECHAT,KOTA
3	RAKESH KUMAR MUNJEE		पिता:DEEPCHAND MUNJEE	1. HIMMAT NAGAR,RAMGANJMANDI,KOTA RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 11.05.2025 समय 7.36 पीएम मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया व बताया कि मैं ईश्वरचन्द गौतम बोल रहा हू। मेरी ऑनलाईन भूमि रूपान्तरण की फाईल का भूमि रूपान्तरण व सर्मपण की कार्यवाही हेतु फाइल फरवरी 2025 में लगाई थी, जिसकी कार्यवाही एसडीएम रामगंजमण्डी एवं तहसीलदार चेचट द्वारा पूर्ण नहीं की है। मैं उक्त फाइल की प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु एसडीएम रामगंजमण्डी एवं उनके कार्यालय के बाबू से मिला तो उन्होंने मेरे से एक लाख 10 हजार रूपये की मांग की है तथा तहसीलदार चेचट से मिला तो मेरे से 25 हजार रूपये फीस के रूप में रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस पर यदि मैं कोटा आया तो एस.डी.एम रामगंजमण्डी कार्यालय व तहसीलदार चेचट कार्यालय में कार्मिकों को शक हो सकता है। आप जल्दी कार्यवाही करवाने की कृपा करें। इस पर मन् अति पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री ईश्वरचन्द को बताया कि मैं मेरे कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकार्डर लेकर श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक मय श्री लालचन्द कानि. को दिनांक 12.05.2025 को आपके पास रवाना कर दूंगा। आप उक्त सूचना की गोपनीयता बनाये रखे। दिनांक 12.05.2025 समय 6.15 एएम श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक को कार्यालय के मालखाना से सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में नए मैमोरी कार्ड 16 जीबी केडीएम लगवाया जाकर उसे सेव इन मैमोरी कार्ड मोड पर किया गया। दिनांक 11.05.2025 को परिवादी द्वारा जरिए मोबाइल पर दी गई शिकायत के संबंध में पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया । परिवादी के मोबाईल नम्बर पुलिस निरीक्षक को देकर निर्देशित किया कि आप मय श्री लालचन्द कानि. 30 के रामगंजमण्डी पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क करें तथा परिवादी से लिखित शिकायत प्राप्त कर शिकायत के सम्बन्ध में गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के निर्देश देकर रामगंजमण्डी मय कानि. 30 श्री लालचन्द के रवाना किया गया तथा हिदायत की गई कि बाद सत्यापन परिवादी को हमराह आने हेतु समझाइश करें। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। दिनांक 12.05.2025 समय 3.00 पीएम श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक मय श्री लालचन्द कानि. 30 मय परिवादी श्री ईश्वरचन्द के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकार्डर व परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम द्वारा पेश शुदा प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि "मैं कार्यालय से मय कानि. लालचन्द 30 के रवाना होकर करीब 8.30 एएम पर रामगंजमण्डी स्टेशन पर पहुंचा जहां से परिवादी के मोबाइल पर कॉल करवाया तो परिवादी ने स्टेशन के बाहर गोपनीय स्थान पर होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय कानि. गोपनीय स्थान पर पहुंचा जहां परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम व उसके भाई श्री गिरीश गौतम के मौजूद मिला। जहां पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि-"मैं ईश्वर गौतम ग्राम खेड़ारूद्धा तहसील चेचट जिला कोटा का निवासी हूं तथा जैविक खेती करता हूं। मैं जैविक उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए मेरे गांव के दिनेश खटीक से उसके खाता संख्या 247 रकबा करीब 0.65 हैक्टेयर जो खेडारूद्धा के माल में स्थित को फरवरी 25 में जरिए इकरारनामा फरवरी 2025 में खरीद किया गया था। उसके बाद मैंने उक्त भूमि को औधोगिक में कन्वर्ट करवाने हेतु दिनेश खटीक की ओर से एसडीएम ऑफिस स्थित ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया था । मेरे द्वारा किए आवेदन पर कार्यवाही शुरू नहीं हुई तो मैं एसडीएम कार्यालय की राजस्व शाखा के राकेश बाबू से मिला तो उन्होंने मुझसे 50 हजार रू. बीघा के हिसाब से 1.5 लाख रूपये एसडीएम नीता वसीता को देने के लिए कहा। इस पर मैं एसडीएम मेडम से मिला उनसे कहा कि मेडम भूमि कन्वर्जन हेतु राकेश ने आपके लिए 50 हजार रू. बीघा के हिसाब से डेढ लाख रूपये देने हेतु कहा है। मैं किसान आदमी हूं। मैं इतनी राशि नहीं दे सकता। 20 हजार बीघा के हिसाब से दे दूंगा तो एसडीएम मेडम ने कहा कि आप राकेश से मिल लो व दोनों मिल बैठकर पैसे तय कर लेना। फिर मैंने राकेश से पैसे कम करने के लिए निवेदन

किया तो उन्होंने 90 हजार रूपये एसडीएम मेडम व 20 हजार रू. स्वयं के लिए 1 लाख 10 हजार रूपये की मांग करते हुए कहा कि आपको यह तो देने ही पडेगें। उसके बाद भूमि कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई। कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान उक्त भूमि में से कुछ भूमि सरकार को सरेण्डर करनी थी जिसका प्रार्थना पत्र तहसीलदार चेचट कार्यालय में पेश किया व तहसीलदारजी श्री भरत कुमार यादव से भूमि सर्मपण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करवाने हेतु निवेदन करने के लिए मैं व मेरा भाई गिरीश गौतम साथ गए थे तो उन्होंने उनके कार्यालय संबंधी पूर्ण करने व नामान्तरकरण खोलने के बाद मेरे से 30 हजार रूपये की मांग की। हमारे निवेदन करने पर वह 25 हजार रूपये की मांग कर रहे हैं व अपने दलाल गार्ड को पैसे देने हेतु कहा है। मैं एसडीएम रामगंजमण्डी, उसके दलाल तथा तहसीलदार चेचट व उसके दलाल को मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि उक्त सभी लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उक्त चारों से कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई पुराना लेन देन बकाया है। रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु सादर पेश है "प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों मे मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से प्रार्थना पत्र मैने मेरे पास रखकर हालात जरिये मोबाइल पर आपको निवेदन कर दिए थे। तद्परान्त निर्देशानुसार डिजीटल वॉईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर उसे चालू व बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया भली भांति समझाई गई। परिवादी श्री ईश्वरचन्द को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर एसडीएम कार्यालय के बाबू राकेश के पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करने हेतु एसडीएम कार्यालय रामगंजमण्डी रवाना किया गया तथा सहपरिवादी श्री गिरीश गौतम को आवश्यक कार्य होने से रूखसत किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय कानि. 30 के एसडीएम कार्यालय के बाहर मुकीम हुआ। करीब एक घण्टे बाद परिवादी मेरे पास वापस आया। परिवादी ने बताया कि मेरी राकेश बाबू से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बातचीत हो गई है, उसने मेरे से भूमि रूपान्तरण का कार्य एसडीएम से करवाने हेतु एसडीएम के लिए 90 हजार व स्वयं के लिए 20 हजार रूपये की मांग की । मेरे निवेदन करने पर राकेश स्वयं के लिए 10 हजार रूपये लेने हेतु कुल एक लाख रूपये रिश्वती राशि लेने हेतु राजी हुआ । हमारे बीच जो वार्ता हुई है, वह आपके सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। वार्ता के बाद आरोपी बाबू के रवाना होने पर मैंने डिजीटल वॉईस रिकार्डर बन्द कर लिया था और मैं आपके पास उपस्थित आया हू। उसके बाद हम तीनों परिवादी के स्वयं की कार से रवाना होकर 08 लाईन पुलिया के नीचे चेचट पहुंचे जहां पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया पुनः समझाइश कर तहसीलदार चेचट से रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर रवाना किया। करीब 15 मिनट बाद परिवादी ईश्वरचन्द गौतम 8 लाईन पुलिया के नीचे आया जिससे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि मैं रवाना होकर तहसीलदार चेचट श्री भरत कुमार यादव के पास गया व मेरी पत्रावली में भूमि सर्मपण व नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने के संबंध में वार्ता की गई। उन्होंने उक्त कार्यवाही करने की एवज में फीस के रूप में 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की व रिश्वत राशि अपने गार्ड श्री दिनेश कुमार को देने हेतु कहते हुए दिनेश कुमार को घण्टी बजाकर उनके कक्ष में बुलाया व कहा कि कल ये एक पैकिट में कुछ देगें तो आप ले लेना, इस पर दिनेश कुमार ने भी सहमति जाहिर की । फिर मैं रवाना होकर आपके पास आया हूं। उसके बाद हम तीनों रवाना होकर आपके पास एसीबी कार्यालय आये हैं। परिवादी द्वारा मुझे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजीटल वॉईस रिकार्डर आपको पेश है।" परिवादी से उक्त के संबंध में वार्ता की तो परिवादी द्वारा भी उक्त कथनो की ताईद की गई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू कर सुना गया तो परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम व पुलिस निरीक्षक के कथनों की ताईद हुई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मूर्तिब की गई। दिनांक 12.05.2025 समय 3.20 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द द्वारा एसडीएम रामगंजमण्डी कार्यालय के राकेश बाबू द्वारा रिश्वत राशि दिनांक 13.05.2025 को कार्यालय खुलने के बाद देने एवं दिनांक 13.05.2025 को ही तहसीलदार चेचट श्री भरत कुमार यादव को भी कार्यालय खुलने के बाद ही रिश्वत राशि 25 हजार रूपये देने हेतु अवगत कराया हैं। अतः स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु तहरीर अधिशाषी अभियंता, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा के नाम जारी कर जरिए पत्रांक 286 दिनांक 12.05.2025 से श्री राजेन्द्र कुमार कानि.279 को रवाना किया गया। समय 4.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र कुमार कानि.279 मय स्वतंत्र गवाहान 1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री वीरमचन्द उम्र 34 साल जाति भील निवासी केआर 516, चम्बल कोलोनी माला रोड़ कोटा हाल कनिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा मोबाइल नंबर [redacted]. श्री अर्जुनलाल रोट पुत्र श्री कुरियारोत उम्र 58 साल निवासी जाति मीणा निवासी मकान नंबर 198 रॉयल सनसिटी बोरखेड़ा कोटा हाल वरिष्ठ प्रारूपकार सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा मोबाइल नंबर [redacted] के उपस्थित कार्यालय में आए। समय 4.05 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार व श्री अर्जुन लाल रोट को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया एवं सत्यापन वार्ता के अंश डिजीटल वाइस रिकॉर्डर ऑन कर सुनाकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढकर ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए। समय 4.10 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार व श्री अर्जुन लाल रोट के समक्ष परिवादी की उपस्थिति में श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार चेचट व परिवादी ईश्वरचन्द के मध्य दिनांक 12.05.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी

लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि.30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 4.40 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार व श्री अर्जुन लाल रोट के समक्ष परिवादी की उपस्थिति में श्री राकेश कुमार बाबू कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी कोटा व परिवादी ईश्वरचन्द के मध्य दिनांक 12.05.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6.00 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम ने बताया कि कल दिनांक 13.05.2025 को कार्यालय खुलते ही एसडीएम कार्यालय रामगंजमण्डी के बाबू राकेश कुमार एवं तहसीलदार चेचट के कहे अनुसार उनके गार्ड दिनेश कुमार को रिश्वत राशि दी जानी है अर्थात दोनों स्थानों पर लगभग एक ही समय में रिश्वत दी जानी है इसलिए मैं तहसीलदार चेचट के कार्यालय में रिश्वत देने हेतु मेरे बड़े भाई श्री गिरीश कुमार गौतम को भिजवा दूंगा तथा मैं एसडीएम कार्यालय के बाबू को रिश्वत दे दूंगा। चूंकि परिवादी के कहे अनुसार दोनों जगह एक ही समय में रिश्वत राशि देनी है। ऐसी स्थिति में दो पृथक-पृथक स्थानों पर टे्प कार्यवाही की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए दो ट्रेप टीमों का गठन किया जाना आवश्यक होने से दो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते की और आवश्कता के मध्येनजर पत्रांक 288 दिनांक 12.05.2025 ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा कोटा के नाम जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 को गवाह लेने हेतु रवाना किया गया तथा उच्चाधिकारियों से जरिए मोबाइल हालात निवेदन कर निर्देशानुसार श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो कोटा शहर, श्री राजपाल सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री अब्दुल शरीफ कानि., श्री राजूराम कानि, भ्रनिब्यूरो कोटा देहात, सुश्री कीर्ति चौधरी महिला कानि., श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. व कार्यालय हाजा के समस्त जाप्ता को दिनांक 13.05.2025 को प्रातः 7.00 बजे कार्यालय में उपस्थित आने बाबत् पाबन्द करवाया गया। समय 7.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 मय स्वतंत्र गवाहान 1.श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री मदनलाल अदलक्खा उम्र 48 साल जाति खत्री निवासी मकान नंबर 148, वार्ड नंबर 17 पठान की बाड़ी अन्ता जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति लाडपुरा कोटा मोबाइल नंबर [redacted]. श्री मयंक छाबड़ी पुत्र श्री नानूराम जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी 6 एफ 54 विज्ञाननगर विस्तार योजना कोटा हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति लाडपुरा कोटा मोबाइल नंबर [redacted]को हमराह कार्यालय में उपस्थित आया। उक्त गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के मुख्य अंश सुनाकर संभावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही तो गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र अपने-अपने हस्ताक्षर किए। परिवादी को मय सहपरिवादी अपने भाई श्री गिरीश कुमार गौतम के रिश्वती राशि एक लाख एवं 25 हजार रूपये कुल 1,25,000/-रूपये का इंतजाम कर दिनांक 13.05.2025 को प्रातः 7 बजे कार्यालय में उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अवगत कराया कि हम दोनों भाई सुबह तक रिश्वती राशि का इंतजाम कर सुबह के समय कल दिनांक 13.05.2025 को कोटा नहीं पहुंच पाएगे। आपको हम रिश्वती राशि सहित ढाबादेह के आसपास एकान्त स्थान मिल जाऐगे। अतः परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत व समझाइश कर रूखसत किया गया तथा आमदा चारों स्वतंत्र गवाहान को भी दिनांक 13.05.2025 को प्रातः 7 बजे कार्यालय में उपस्थित आने व कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत व समझाइश कर रूखसत किया गया। दिनांक 13.05.2025 समय 7.15 एएम पर पाबन्दशुदा चारों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार, श्री अर्जुनलाल रोट, श्री मयंक छाबडी व श्री गुलशन अदलक्खा कार्यालय में उपस्थित आए। समय 7.20 एएम पर श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक, श्री राजपाल सिंह, पु.नि., श्री अब्दुल शरीफ कानि., श्री राजूराम कानि., सुश्री कीर्ति महिला कानि, श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. व कार्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित कार्यालय आए। समस्त जाप्ता को होने वाली संभावित टे्प कार्यवाही के संबंध में विस्तारपूर्वक ब्रीफिंग की गई। समय 8.30 एएम पर एक प्राईवेट वाहन से श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक को मय जाप्ता श्री राजूराम कानि., श्री अब्दुल शरीफ कानि., श्री राजेन्द्र कानि.279, श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छाबडी स्वतंत्र गवाह तथा दूसरे प्राईवेट वाहन से श्रीमती अनिता पु.नि, श्रीमती मीनाक्षी कानि.278, सुश्री कीर्ति चौधरी, श्रीमती सुमन कानि.275, श्रीमती सरोज हैडकानि.81, तीसरे प्राईवेट वाहन से श्री राजपाल सिंह पु.नि.,श्री करण सिंह एएओ, श्री घनश्याम कानि.609, श्री पृथ्वीराज पु.नि.,श्री भूपेन्द्र सिंह कानि.292 तथा चौथे प्राईवेट वाहन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री किशनलाल उ.नि., श्री लालचन्द कानि. 30 मय स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार व श्री अर्जुनलाल रोट व ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त आवश्यक सामग्री मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि को प्राईवेट वाहन की डिक्की एवं फिनाप्थलीन पाउडर की शीशी को डेशबोर्ड में रखवाकर ढाबादेह के पास गोपनीय स्थान हेतु रवाना हुआ तथा समस्त जाप्ता को भी अपने-अपने प्राईवेट वाहनों से ढाबादेह के पास निर्धारित गोपनीय स्थान पर पहुंचने हेतु रवाना किया गया। समय 09.50 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाप्ता मय गवाहान मय ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त आवश्यक सामग्री मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि एवं फिनाप्थलीन पाउडर की शीशी सहित प्राईवेट वाहन से ढाबादेह के पास निर्धारित गोपनीय स्थान पर

पहुंचा जहां पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द मय अपने भाई श्री गिरीश कुमार सहपरिवादी के उपस्थित मिला। परिवादी से रिश्वती राशि के संबंध में वार्ता की तो रिश्वती राशि की व्यवस्था कर लाना बताया। अलग-अलग वाहनों से रवानाशुदा जाप्ता भी मय गवाहान के ढाबादेह के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे। समय 10.05 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से तहसीलदार चेचट श्री भरत कुमार यादव व उसके दलाल दिनेश कुमार होमगार्ड को रिश्वत में दी जाने वाली नगद राशि 25,000/-रू. पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री ईश्वरचन्द ने अपने भाई श्री गिरीश कुमार सहपरिवादी की उपस्थिति में दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छाबड़ी के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये नगद निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, नोटो का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट क्रमाकं
1	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4BC 959301
2	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9CB 771807
3	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5HP 190596
4	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9KB 277416
5	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7GP 199121
6	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8UM 402118
7	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4AC 149607
8	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3WM 316013
9	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7BB 092007
10	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6NE 474466
11	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2DG 727070
12	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9KT 466251
13	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0KL 910010
14	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7FV 512303
15	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5BK 219535
16	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2SK 975885
17	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8WG 942823
18	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4VQ 292929
19	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1VL 715625
20	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7PW 507163
21	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7CB 135540
22	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1EK 066006
23	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9FR 904263
24	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1PS 144262
25	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2QM 045781
26	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0EA 366942
27	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3GQ 618380
28	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1PR 927660
29	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1NK 523927
30	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9AU 121965
31	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1FR 204813
32	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0SH 104852
33	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7MQ 978915
34	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6GK 337173
35	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6GK 337174
36	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6GK 337175

37 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6GK 337176
38 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6GK 337177
39 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6GK 337178
40 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6GK 337179
41 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KA 510631
42 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KA 510632
43 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KA 510633
44 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KA 510634
45 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KA 510635
46 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KA 510636
47 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KA 510637
48 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9EH 676909
49 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4AM 224120
50 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9FU 314675

श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 के द्वारा प्राईवेट वाहन के डेशबोर्ड में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति इस प्रकार लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृष्य रहे। गवाह श्री मयंक से सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को एक सफेद थैली में रखवाकर नोटों की थैली को श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि.278 से सीधे ही सहपरिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की सामने की जेब में रखवाये गये। एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की रासायनिक प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सहपरिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति इस फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि को अपने हाथों से प्राप्त करेगा अथवा छुयेगा तो उसके हाथों को इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा। सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावे, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटो को अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या डिटेन हेतु नियुक्त श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एस.यू. कोटा के मोबाईल नं. [redacted] पर मिस कॉल कर इशारा करे। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। नोटों पर पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। कार्यवाही में काम में आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन, को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। डिटेन हेतु मुर्करर पुलिस निरीक्षक पृथ्वीराज के हमराह दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि सहपरिवादी के आसपास नजदीक रहकर सहपरिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखें व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे नए मैमोरी कार्ड 16 जीबी केडीएम रख कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मैमोरी कार्ड मोड पर किया जाकर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि भली भांति समझाई गई तथा सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। प्रक्रिया में प्रयुक्त फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 को संभलायी गई। फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढ़कर सुनाई गई। सभी ने सुन, समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.35 एएम पर इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से एसडीएम रामगंजमण्डी व उसके दलाल राकेश बाबू को रिश्वत में दी जाने वाली नगद राशि1,00,000/- रू. पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री ईश्वरचन्द ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार व श्री अर्जुन लाल के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये नगद निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, नोटो का विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.स.
नोट का प्रकार नोट क्रमाकं
1 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6LP 247254

2	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8PE 354119
3	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3HP 562823
4	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9NN 852661
5	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4FM 953132
6	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6FG 992317
7	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0GK 191078
8	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0GK 191077
9	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9BG 233415
10	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0MH 521386
11	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3WM 189040
12	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1KA 510629
13	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1KA 510630
14	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6GK 337180
15	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6GK 337181
16	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2NV 553230
18	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6CM 500339
19	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7GR 354825
20	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0AN 575768
21	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2CT 257739
22	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0TW 955974
23	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7PN 501041
24	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1NV 163017
25	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2EH 857051
26	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1HS 247097
27	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9UN 707829
28	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6FA 267213
29	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7EN 190117
30	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4HH 707039
31	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4RM 142881
32	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5KG 028818
33	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3NT 049828
34	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7FH 327436
35	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3RM 935776
36	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8SR 788561
37	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8UA 021804
38	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3GC 681617
39	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3GC 681615
40	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8HE 075595
41	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3GC 681616
42	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3AN 422055
43	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0BK 743390
44	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3UR 906961
45	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5AN 136760
46	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2BM 041446
47	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1HK 652334
48	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0PE 136406
49	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2QM 683253
50	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7WM 452671

51 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4FW 528631
52 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7RM 476397
53 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7KE 269916
54 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0GA 768074
55 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8AP 309320
56 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7VC 011540
57 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6VG 619838
58 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3CL 493083
59 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2EC 296382
60 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2AA 208769
61 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0GN 961741
62 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7SF 583458
63 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8AG 250652
64 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2AF 778486
65 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3AC 343001
66 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3NP 043721
67 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3PG 069744
68 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8TC 661565
69 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8PH 280694
70 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0NH 701065
71 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2FQ 835209
72 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4CG 633275
73 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9KC 245516
74 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6EP 065135
75 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8MU 152653
76 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2TL 389587
77 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3BE 604584
78 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9EM 175406
79 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1UT 800004
80 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9TR 737771
81 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1MS 236622
82 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6SF 798735
83 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4WG 749981
84 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8FU 813455
85 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0ES 114134
86 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0FS 658735
87 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0CW 894137
88 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9NL 918667
89 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2LK 835819
90 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6HU 641390
91 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH 975473
92 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3LN 403069
93 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3ML 237800
94 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0QB 039979
95 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KK 590995
96 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6DT 575404
97 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5BT 254251
98 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5FD 835231

99	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5DV 623118
100	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1FE 956305
101	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2DN 737549
102	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2FD 043288
103	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7LB 094576
104	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8TW 578583
105	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9KH 802318
106	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8HP 088792
107	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5KV 154375
108	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6KN 276928
109	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6KN 276927
110	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6KN 276926
111	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6KN 276925
112	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6KN 276924
113	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2KP 729137
114	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4HN 187877
115	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7LH 121481
116	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1NS 520149
117	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9KT 277476
118	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1LR 600467
119	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6KN 472176
120	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4SP 480880
121	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3TW 752317
122	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3VH 124638
123	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3TW 216410
124	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9SU 274011
125	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2FD 662203
126	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	2FD 662202
127	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0GD 217042
128	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	6BD 871310
129	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3FU 430071
130	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0QD 357465
131	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4UQ 474517
132	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8GG 298109
133	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8HQ 960931
134	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3RF 694926
135	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5MB 903846
136	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	4UQ 468212
137	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	3KE 967668
138	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7LV 352486
139	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	7DQ 975606
140	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	1KN 771057
141	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9DP 729009
142	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5QE 995518
143	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	5HG 904574
144	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	0WQ 680055
145	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	9BG 813049
146	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर	8UF 817055

147 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9TS 364811
148 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7CL 333292
149 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4QL 555747
150 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2AS 481246
151 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4ES 155486
152 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1WR 667195
153 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6DL 006701
154 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9AB 089421
155 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DR 425870
156 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5RQ 329014
157 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2EE 298669
158 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3RG 124108
159 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4WM 151737
160 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5KN 759585
161 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7DK 128815
162 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1MR 542239
163 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5FK 484369
164 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3AC 735935
165 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7LN 536516
166 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8NP 624501
167 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0AF 745208
168 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2AP 011730
169 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8RC 220401
170 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7QQ 562467
171 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5FD 251342
172 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9CK 479989
173 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8TH 984906
174 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2EP 859202
175 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9KD 206689
176 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0DQ 325410
177 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6NS 814857
178 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3FK 079936
179 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9QL 839037
180 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2QM 924091
181 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1CD 217189
182 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8GF 614049
183 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6RV 947535
184 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3HD 747250
185 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2CR 156850
186 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 2LT 655201
187 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5PV 301959
188 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3PA 353238
189 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1VK 999803
190 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7MC 198754
191 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6UU 943404
192 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0TL 787006
193 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6WG 514330
194 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0SA 097418

195 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0RC 302306
196 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6TT 917051
197 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DN 262603
198 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7ST 589301
199 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6NG 760879
200 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DM 748893

श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि 278 के द्वारा स्वयं के पास रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति इस प्रकार लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृष्य रहे। गवाह श्री राजेश कुमार. से परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को एक सफेद थैली में रखवाकर नोटों की थैली श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये। एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि 278 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति इस फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि को अपने हाथों से प्राप्त करेगा अथवा छुयेगा तो उसके हाथों को इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटों को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नं. [redacted] पर मिस कॉल कर इशारा करें। इसके बाद डिस्पोजल गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। नोटों पर पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि 278 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। कार्यवाही में काम मे आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन, को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखें व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नए मैमोरी कार्ड 16 जीबी केडीएम रखवाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। प्रक्रिया में प्रयुक्त फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि 278 को संभलाई जाकर उसे एसीबी एस.यू. चौकी कोटा हेतु रवाना किया गया। फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढ़कर सुनाई सभी ने सुन, समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 12.05 पीएम पर श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक को मय जाप्ता श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279, श्री अब्दुल शरीफ 288, श्री करण सिंह एएओ मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छावडी के प्राईवेट वाहन से तहसीलदार के गार्ड श्री दिनेश कुमार को रिश्वत राशि देने हेतु मय सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम के तहसील कार्यालय चेचट रवाना किया गया व हिदायत की गई कि चेचट पहुंच गोपनीय स्थान पर मुकीम होते हुए मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देश का इंतजार करें। समय 12.07 पीएम पर श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री राजूराम कानि.276, श्री भूपेन्द्र सिंह 292, श्री घनश्याम कानि. 609 के मय प्राईवेट वाहन से गोपनीय स्थान चेचट हेतु रवाना कर हिदायत की गई कि तहसीलदार का गार्ड रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देश प्राप्त होने पर तहसीलदार श्री भरत कुमार यादव को डिटेन करें। समय 12.09 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री राजपाल सिंह पु.नि.,श्री किशनलाल उनि., श्री लालचन्द कानि. 30 मय स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार, श्री अर्जुनलाल रोट मय परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम के प्राईवेट वाहन से एसडीएम कार्यालय रामगंजमण्डी रवाना हुआ तथा श्रीमती अनिता पुलिस निरीक्षक को मय जाप्ता श्रीमती सरोज है.कानि. 81, श्रीमती सुमन कानि.275, सुश्री कीर्ति कानि.253 के प्राईवेट वाहन से पीछे-पीछे आने हेतु निर्देशित किया एवं हिदायत की गई कि मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशासार कार्यवाही करें। समय 12.20 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाप्ता मय परिवादी के रामगंजमण्डी एसडीएम कार्यालय से पूर्व गोपनीय स्थान पर पहुंचकर मुकीम हुए। समय 12.22 पीएम पर आरोपी श्री राकेश कुमार बाबू का लोकेशन जानने व रिश्वत राशि लेकर आने का स्थान पूछने हेतु परिवादी के मोबाइल से राकेश कुमार बाबू के मोबाइल पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तो आरोपी राकेश कुमार ने परिवादी के कार्य के संबंध में वार्ता कर परिवादी को एसडीएम कार्यालय में बुलाया। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर

में रिकॉर्ड किया गया। समय 12.26 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम को आरोपी श्री राकेश कुमार को रिश्वत राशि देने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आवश्यक समझाइश कर एसडीएम कार्यालय रामगंजमण्डी हेतु रवाना किया गया तथा श्री राजपाल सिंह पु.नि., श्री किशनलाल उनि., श्री लालचन्द कानि. 30 व दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के आसपास रहकर निगरानी करने व यथा संभव लेनदेन वार्ता को सुनने व देखने हेतु हिदायत कर परिवादी के पीछे पीछे एसडीएम कार्यालय के लिए रवाना किया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक मय शेष जाप्ता व वाहनों सहित एसडीएम कार्यालय के सामने रोड़ साईड पर मुकीम हुआ। समय 12.31 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाइल श्री पृथ्वीराज पु.नि. केम्प गोपनीय स्थान चेचट को सूचित किया कि परिवादी ईश्वरचन्द को रिश्वत राशि देने हेतु एसडीएम रामगंजमण्डी कार्यालय रवाना कर दिया है आप भी सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम को रिश्वत राशि देने हेतु तहसीलदार चेचट कार्यालय के लिए रवाना करें तथा श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक को भी जरिए मोबाइल निर्देश दिए कि तहसीलदार का गार्ड रिश्वत राशि ग्रहण करते ही पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक की सूचना अनुसार तहसीलदार चेचट श्री भरत कुमार यादव को डिटेन करें। समय 12.45 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम बिना कोई ईशारा किये मन अति. पुलिस अधीक्षक के पास आया व बताया कि मैं रिश्वत राशि देने हेतु राकेश कुमार बाबू एसडीएम कार्यालय रामगंजमण्डी गया था लेकिन राकेश कुमार ने रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की और बाद में मिलने के लिए कहा। इस पर मैं कार्यालय से बाहर आया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बंद कर लिया है। समय 12.58 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को पुनः रिश्वत राशि देने के प्रयास करने हेतुएसडीएम कार्यालय में जाने हेतु समझाइश कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करवाकर एसडीएम कार्यालय रवाना किया तथा जाप्ता श्री राजपाल सिंह पु.नि., श्री किशनलाल उनि., श्री लालचन्द कानि. 30 व दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी की निगरानी हेतु रवाना कर हिदायत की गई कि यथासंभव परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली लेन देन वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करें। समय 1.00 पीएम पर द्वितीय टीम में नियुक्त श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो एसयू कोटा ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वयं के मोबाइल से कॉल कर बताया कि तहसीलदार चेचट श्री भरत कुमार यादव के कहने पर उसके गार्ड श्री दिनेश कुमार मीणा द्वारा रिश्वत राशि 25,000/-रू. प्राप्त कर लेने बाबत् मन पुलिस निरीक्षक को समय 12.54 पीएम पर सहपरिवादी द्वारा कॉल करने पर मेरे द्वारा दिनेश कुमार गार्ड को डिटेन कर लिया है तथा श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार को भी श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक द्वारा डिटेन कर लिया है। श्री दिनेश कुमार होमगार्ड व तहसीलदार श्री भरत कुमार को हम दोनों ने ट्रेप टीम के सहयोग से डिटेन कर तहसीलदार चेचट के कक्ष में बैठा लिया है। मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पृथ्वीराज को तहसीलदार व उसके गार्ड को डिटेन रखते हुये अग्रिम निर्देशो तक इंतजार करने हेतु कहा गया। समय 1.05 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द एसडीएम कार्यालय से बिना कोई इशारा किए मन अति. पुलिस अधीक्षक के पास आया व बताया कि मैं रिकॉर्डर लेकर एसडीएम कार्यालय में राकेश कुमार के कक्ष में उनकी सीट के पास गया तो राकेश बाबू सीट पर मिले लेकिन उनको मुझपर एसीबी टीम साथ लेकर आने का संदेह होने से उन्होंने मुझ से रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया है इसलिए अब वह अपनी सीट से उठकर कहीं चले गए हैं तथा वह अब मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगें। इस पर मैं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बंद कर आपके पास आया हूं। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। समय 1.06 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने जरिए मोबाइल श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि एसडीएम कार्यालय रामगंजमण्डी के बाबू राकेश कुमार द्वारा संदेह हो जाने से परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। आप व पृथ्वीराज पु.नि. तहसील कार्यालय चेचट में डिटेन किए गए तहसीलदार व उसके गार्ड को स्वयं की निगरानी में डिटेनशुदा रखे। मन अति. पुलिस अधीक्षक एसडीएम कार्यालय रामगंजमण्डी से तुरन्त रवाना होकर आपके पास पहुंच रहा हूं। समय 1.10 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाप्ता मय परिवादी ईश्वरचन्द गौतम मय गवाहान के रामगंजमण्डी से चेचट तहसील कार्यालय हेतु रवाना हुआ। समय 1.40 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाप्ता व गवाहान मय परिवादी ईश्वरचन्द के रामगंजमण्डी से रवानाशुदा तहसीलदार कार्यालय चेचट पहुंचा। जहां पर सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम व द्वितीय टीम प्रभारी श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान व डिटेनषुदा श्री दिनेश कुमार व श्री भरत कुमार यादव के मौजूद मिले। सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम से श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक द्वारा प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर बंद किया हुआ को मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश करने पर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तहसीलदार चेचट के कक्ष में सामने कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ सहपरिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही तहसीलदार श्री भरत कुमार यादव हैं जिनके कहने पर मैंने दिनेश कुमार गार्ड को 25,000/-रू. रिश्वत राशि दी थी। दिनेश कुमार भी सामने की कुर्सी पर बैठा हुआ है, इस पर तहसीलदार के सामने की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जिसका बायां हाथ श्री राजेन्द्र कानि.279 व दाहिना हाथ श्री मोहम्मद शरीफ कानि. 288 द्वारा पकड़ा हुआ है, से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी ग्राम धायपुरा तहसील चेचट, जिला कोटा हाल होमगार्ड नंबर 1632 जिला कोटा ग्रामीण होना बताया। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा से सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार की तरफ ईशारा करते हुये पूछा कि थोडी देर पहले आपने श्री भरत कुमार यादव, तहसीलदार के कहे अनुसार श्री

गिरीश कुमार से 25,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि हां मैंने तहसीलदारजी द्वारा कल दिनांक 12.05.2025 को परिवादी ईश्वरचन्द गौतम के सामने कहा था कि यह कल आपको एक पैकिट देगें तो आप ले लेना तो मैंने हां कर दी थी तथा आज थोडी देर पहले मैं तहसीलदारजी से मिला था तो तहसीलदारजी ने मुझसे कहा था कि बाहर गिरीश कुमार गौतम खडे हैं उनसे 25,000/-रू. ले लेना इस पर मैं तहसीलदारजी के कक्ष के बाहर गया तो गिरीश कुमारजी मिल गए। गिरीश कुमार जी ने मुझसे मेरा नाम पूछा फिर हम दोनों कार्यालय के पीछे चले गए जहां पर गिरीश कुमार जी ने उनकी जेब से एक सफेद रंग की थैली निकाल कर मुझे दी और कहा कि इसमें 25,000/-रू. हैं आप गिन लो। इस पर मैंने थैली से रूपये निकाल कर गिने तो 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रू. थे। मैंने रूपयो को गिनकर वापस उसी सफेद रंग की थैली में रखकर रूपये थैली सहित मेरी पेन्ट की बाईं जेब में रखे थे जो अभी भी मेरी पेन्ट की जेब में ही हैं। इस पर पास ही खडे सहपरिवादी श्री गिरीश ने भी उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात कक्ष में बैठे तहसीलदार से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री भरत कुमार यादव पुत्र श्री मेहरचन्द यादव जाति अहीर उम्र 48 साल निवासी ए-99 अनसल टाउन जिला अलवर हाल तहसीलदार, तहसील चेचट, जिला कोटा होना बताया। श्री भरत कुमार यादव से सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार से ली गई रिश्वत राशि एवं दिनांक 12.05.2025 को परिवादी श्री ईश्वरचन्द से हुई सत्यापन वार्ता के संबंध में पूछने पर बताया कि अभी थोडी देर पहले श्री गिरीश कुमार मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा था कि मेरे भाई ईश्वरचन्द की भूमि सर्मपण वाली पत्रावली आपके पास पेण्डिग हैं, मैंने संबंधित बाबू को बुलवाकर संबंधित पत्रावली को दिखवाया तो बाबू ने कहा कि मेरे पास यह पत्रावली पेण्डिग नहीं है, यह पत्रावली ऑनलाईन प्रक्रियाधीन है। मैंने गिरीश कुमार गौतम से रिश्वत नहीं मांगी ना ही किसी और व्यक्ति को रिश्वत देने को कहा। दिनांक 12.05.2025 को ईश्वरचन्द मेरे कार्यालय में आया था जिससे भी मैंने रिश्वत नहीं मांगी और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को रिश्वत देने हेतु नियुक्त किया था। इस पर पास ही खड़े सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार ने श्री भरत कुमार की बातों का खण्डन करते हुए बताया कि -यह झूठ बोल रहे हैं मैं रिश्वत राशि लेकर थोडी देर पहले इनके पास आया था जिनसे मेरे भाई ईश्वरचन्द की भूमि रूपान्तरण की पत्रावली के संबंध में वार्ता करने के बाद दिनांक 12.05.2025 को ईश्वरचन्द से हुई वार्ता अनुसार इनसे मैंने रिश्वत राशि देने के संबंध में बात की तो इन्होंने मेरे से कहा कि बाहर गार्ड है उसे दे देना। मैं तहसीलदारजी के कार्यालय के चौक में बैठ गया था। कुछ देर बाद तहसीलदारजी के कक्ष से दिनेश कुमार गार्ड बाहर निकला व कक्ष के बाहर बरामदे से मुझे इशारा कर बुलाया। मैं उसके पास पहुंचा तो वह मुझे कार्यालय के पीछे की ओर एकान्त में ले गया जहां पर तहसीलदारजी के कहे अनुसार रिश्वती राशि 25,000/-रू. दिनेश कुमार को दिए और रूपये गिनने हेतु कहा। दिनेश कुमार ने रूपये गिनकर अपनी पेन्ट की जेब में रखे। उसके बाद मैं वापस तहसीलदारजी के पास आया व उनको बताया कि मैंने दिनेश कुमार को आपके कहे अनुसार फीस का पैकिट दे दिया है तो तहसीलदारजी ने कहा था कि-"ठीक है धन्यवाद" फिर मैनें कक्ष से बाहर जाकर श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक को मोबाइल पर रिश्वती राशि गार्ड द्वारा प्राप्त करने बाबत अवगत कराया था तदुपरान्त परिवादी श्री ईश्वरचन्द ने भी तहसीलदार श्री भरत कुमार की बातों का खण्डन करते हुए बताया कि मैं कल दिनांक 12.05.2025 को तहसीलदारजी से इनके कक्ष में मिला था व मेरे भूमि रूपान्तरण संबंधित वार्ता होने के बाद तहसीलदारजी ने मुझसे 25,000/-रू. रिश्वत फीस के रूप में मांग करते हुए रिश्वती राशि का पैकिट गार्ड दिनेश कुमार को देने हेतु कहा था। फिर दिनेश कुमार को कक्ष में लगी घण्टी बजाकर बुलाया व दिनेश कुमार से कहा कि कल यह तेरे को पैकिट देकर जाएगें उसे ले लेना, तो दिनेश कुमार ने हां की थी। चूंकि सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार के कहे अनुसार आरोपी दिनेश कुमार होमगार्ड 1632 द्वारा सहपरिवादी से 25,000/- रूपये तहसीलदार श्री भरत कुमार यादव के कहे अनुसार बतौर रिश्वत प्राप्त किए हैं। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी, सहपरिवादी व गवाहान एंव जाप्ता की उपस्थिति में डिटेनशुदा दिनेश कुमार होमगार्ड 1632 की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यालय में रखे पानी के मटके से एक लोठे में साफ पानी मंगवाया गया। लोठे से दो साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में स्वच्छ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। आरोपी दिनेष कुमार मीणा होमगार्ड के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे पृथक पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क आर एच-1, आर एच-2 अंकित किया गया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिसे पृथक पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क एल एच-1, एल एच-2 अंकित किया। इसके बाद गवाह श्री मयंक छाबड़ी से श्री दिनेश कुमार होमगार्ड की तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई पेंन्ट की बायीं साईड की जेब से पांच-पांच सौ रूपये के नोट थैली में रखे मिले जिनको गवाह से गिनवाया गया तो पांच-पांच सौ रूपये के कुल 50 नोट होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया, जिस पर दोनों गवाहान ने उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर कहा कि ये वही नोट हैं जिन पर गोपनीय स्थान पर फिनोफ्थिलीन पाउडर लगाया था। उक्त नोटों को कागज के पीले रंग लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।इसके पश्चात एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर

डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। रिश्वत राशि आरोपी होमगार्ड दिनेश कुमार मीणा की पहनी हुई पेंट की साईड की बायीं जेब से बरामद होने से उसको पहनने के लिए एक पजामा मंगवाकर दिया गया एंव पहनी हुई पेंट को उतरवाया जाकर पेंट की बायीं जेब को उलटकर गिलास में बने घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को पृथक-पृथक दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया। पेंन्ट को सुखाकर जेब को पैन से मार्क कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर शील्ड पैकिट को मार्क- पी दिया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वती राशि 25,000/-रू. जिस सफेद थैली से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए थे उस थैली का धोवन करवाने हेतु एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। उक्त घोल में थैली को उलटवाकर धुलवाया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त हुआ, धोवन को पृथक-पृथक दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क बी-1 व बी-2 अंकित किया। थैली को सुखाकर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली में रखकर सीलमोहर कर शील्ड पैकिट को मार्क-बी दिया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी के पेण्डिंग वर्क से सम्बन्धित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां पृथक से प्राप्त की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 द्वारा सरकारी मोबाइल में नया मैमोरी कार्ड 16 जीबी केडीएम लगवाकर मोबाइल को सेव इन मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही से श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार, तहसील चेचट, कोटा एवं श्री दिनेश कुमार मीणा, होमगार्ड 1632 जिला कोटा ग्रामीण हाल कार्यालय तहसीलदार चेचट, कोटा द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम के भूमि रूपान्तरण एवं सर्मपण की पत्रावली को तहसील स्तर से परिवादी के पक्ष में निस्तारण करने की एवज में तहसीलदार द्वारा परिवादी ईश्वरचन्द से 25,000/-रू. फीस के रूप में रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि का पैकिट अपने गार्ड श्री दिनेश कुमार को देने हेतु कहना, दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के भाई श्री गिरीश कुमार का तहसीलदार से मिलकर अपने भाई की भूमि रूपान्तरण व समर्पण की पत्रावली का कार्य पूर्ण करने बाबत की गई वार्ता के दौरान तहसीलदार द्वारा रिश्वती राशि अपने कार्यालय के गार्ड को रिश्वत देने हेतु कहना, सहपरिवादी द्वारा कार्यालय परिसर मे इन्तजार के दौरान गार्ड दिनेश कुमार का तहसीलदार से मिलकर सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार की ओर इशारा कर, बुलाकर कार्यालय के पीछे एकान्त में ले जाकर रिश्वती राशि ग्रहण करना, रिश्वती राशि गिनकर दिनेश कुमार द्वारा अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखना, तत्पशत सहपरिवादी वापस तहसीलदार के कक्ष में आकर तहसीलदार से रिश्वती राशि गार्ड को देने बाबत अवगत करवाने पर तहसीलदार द्वारा यह कहना कि ठीक है धन्यवाद, रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनेश कुमार की पहनी हुई पेन्ट की बाईं जेब से बरामद होना, दिनेश कुमार के दोनों हाथो, पेन्ट की जेब, थैली के धोवन का रंग गुलाबी व हल्का गुलाबी प्राप्त होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से 1. श्री भरत कुमार यादव पुत्र श्री मेहरचन्द यादव जाति अहीर उम्र 48 साल निवासी ए-99 अनसल टाउन जिला अलवर हाल तहसीलदार, तहसील चेचट, जिला कोटा 2.श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी ग्राम धाईपुरा तहसील चेचट, जिला कोटा हाल होमगार्ड नंबर 1632 जिला कोटा ग्रामीण द्वारा जुर्म धारा 7, 7ए 12 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 एवं धारा 61 (2) बी.एन.एस. का अपराध करना पाया जाने पर आरोपीगण 1. श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार, चेचट कोटा 2. श्री दिनेश कुमार मीणा होमगार्ड 1632 की गिरफ्तारी रूबरू गवाहान पृथक से मुर्तिब की जायेगी। फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। बरामदगी व जब्ती की कार्यवाही के दौरान ही आरोपी श्री भरत कुमार यादव के सरकारी आवास व अस्थाई आवास कमरा नंबर 22, मंगलम सीमेन्ट परिसर चेचट कोटा की खाना तलाशी हेतु श्री राजपाल सिंह पु.नि. मय जाप्ता श्री मोहम्मद शरीफ कानि.288, श्री घनश्याम कानि. 609, श्री करण सिंह एएओ मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार व श्री अर्जुनलाल मय प्राईवेट वाहन के तथा ट्राईपोलिस सिटी मॉल के सामने, झालावाड़ रोड़ कोटा स्थित आवास की खाना तलाशी हेतु श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री राजेन्द्र कुमार कानि.279, श्रीमती सुमन कानि. 275 मय प्राईवेट वाहन के रवाना किया गया। समय 06.05 पी.एम.पर श्री ईश्वरचन्द गौतम द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि मेरे भाई तहसीलदार चेचट श्री भरत कुमार यादव व उनके दलाल गार्ड दिनेश कुमार को रिश्वती राशि देने पर आप द्वारा दोनों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की जा रही है तथा मेरे ऊपर भी राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी को एसीबी टीम लेकर आने का संदेह होने के कारण श्री राकेश कुमार एएओ अब मुझसे किसी भी सूरत में रिश्वती राशि ग्रहण नहीं करेगा। अतः परिवादी की जेब में सफेद थैली में रखकर रखवाई गई रिश्वती राशि 1,00,000/-रूपये के नम्बरी नोटों को गवाह श्री मयंक छावडी से परिवादी की जेब से निकलवाकर गिनवाए जाकर गवाह के पास सुरक्षित रखवाए गए। समय 06.10 पी.एम.पर आरोपी श्री भरत कुमार यादव, तहसीलदार तहसील चेचट कोटा का सेवा विवरण चाहने हेतु जिला कलेक्टर कोटा को पत्रांक-एसपीएल-1 दिनांक 13.05.2025 तैयार किया गया। उक्त पत्र आमदा तहसीलदार रामगंजमण्डी श्रीमती नेहा वर्मा को दस्ती दी जाकर रसीद प्राप्त की गई । समय 06.15 पी.एम. पर कार्यालय तहसीलदार तहसील चेचट कोटा से परिवादी ईश्वरचन्द गौतम के भूमि रूपान्तरण कराने हेतु पेश किए गए आवेदन दिनांक 14.02.2025 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक-एसपीएल-2 दिनांक

13.05.2025 तैयार किया गया। उक्त पत्र आमदा तहसीलदार रामगंजमण्डी श्रीमती नेहा वर्मा को दस्ती दिया जाकर रसीद प्राप्त की गई। समय 06:25 पी.एम पर आरोपी श्री दिनेश कुमार यादव, होमगार्ड 1632 कार्यालय तहसीलदार तहसील चेचट कोटा का सेवा विवरण चाहने हेतु कमाण्डेण्ट, होमगार्ड, कोटा को पत्रांक-एसपीएल-3 दिनांक 13.05.2025 तैयार किया जाकर उक्त पत्र श्रीमान कमाण्डेण्ट होमगार्ड को जरिए व्हाट्सअप प्रेषित किया गया। समय 06.40 पी.एम. आरोपी श्री भरत कुमार यादव पुत्र श्री मेहरचन्द जाति अहीर उम्र 48 साल निवासी 899 अनसल टाउन जिला अलवर हाल तहसीलदार चेचट कोटा की परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम से दिनांक 12.05.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक13.05.2025 को सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम व श्री भरत कुमार यादव के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जो सरकारी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं में आरोपी की आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाए जाने हेतु आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी द्वारा दस्ती नोटिस पर ही अपने हस्तलेख से लिख कर दिया कि- "महोदय जी मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूं" अतः नोटिस मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.00 पी.एम.पर आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी ग्राम धाईपुरा तहसील चेचट, जिला कोटा हाल होमगार्ड नंबर 1632 जिला कोटा ग्रामीण की दिनांक 13.05.2025 को सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम व श्री भरत कुमार यादव के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जो सरकारी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी की आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाए जाने हेतु आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी द्वारा दस्ती नोटिस पर ही अपने हस्तलेख से लिख कर दिया कि- "महोदय जी मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूं" अतः नोटिस मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.30 पी.एम. पर आरोपी श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी ग्राम धाईपुरा तहसील चेचट, जिला कोटा हाल होमगार्ड नंबर 1632 जिला कोटा ग्रामीण को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पूर्ण नाम एंव पद का परिचय दिया एंव आरोपी को उसके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपी को उसकी गिरफ्तार के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर चैक लिस्ट तैयार की जाकर चैक लिस्ट में वर्णित कारणों से आरोपी को ट्रेप कार्यवाही में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरों लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मयंक छावडी से लिवाई गई तो आरोपी के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके सहकर्मी श्री नरेश कुमार मीणा, पटवारी को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 08.00 पी.एम. पर आरोपी श्री भरत कुमार यादव पुत्र श्री मेहरचन्द जाति अहीर उम्र 48 साल निवासी 899 अनसल टाउन जिला अलवर हाल तहसीलदार चेचट कोटा को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पूर्ण नाम एंव पद का परिचय दिया एंव आरोपी को उसके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपी को उसकी गिरफ्तार के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर चैक लिस्ट तैयार की जाकर चैक लिस्ट में वर्णित कारणों से आरोपी को ट्रेप कार्यवाही में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरों लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मयंक छावडी से लिवाई गई तो आरोपी के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार तहसील कार्यालय में पदस्थापित पटवारी श्री नरेश कुमार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 8.30 पीएम पर सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम व आरोपी श्री भरत कुमार यादव, तहसीलदार एवं आरोपी श्री दिनेश कुमार होमगार्ड के मध्य हुई दिनांक 13.05.2025 को दौराने रिश्वत लेन देन वार्ता, जिसे दिनांक 13.05.2025 को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर सहपरिवादी व दोनों गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छावड़ी व आरोपीगण को सुनाया गया। सहपरिवादी ,गवाहान, आरोपीगण की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।समय 11.00 पर पीएम परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम व आरोपी श्री राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी कोटा के मध्य दिनांक 13.05.2025 को मोबाइल पर करवाई गई वार्ता, जिसे मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिनांक 13.05.2025 को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छावड़ी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.30 पीएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम व आरोपी श्री राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी के मध्य दिनांक 13.05.2025 को दौराने रिश्वत लेन देन प्रयास प्रथम वार्ता, जिसे दिनांक 13.05.2025 को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटॉप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छावड़ी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 14.05.2025समय 01.50 एएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम व आरोपी श्री राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम

रामगंजमण्डी के मध्य दिनांक 13.05.2025 को दौराने रिश्वत लेन देन प्रयास द्वितीय वार्ता, जिसे दिनांक 13.05.2025 को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छावड़ी को सुनाया गया। परिवादी , गवाहान की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3.35 एएम पर समय दिनांक 12.05.2025 को परिवादी श्री ईश्वरचन्द्र गौतम व आरोपी श्री राकेश कुमार एएओ के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 12.05.2025 को ही परिवादी ईश्वरचन्द व आरोपी श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, तथा दिनांक 13.05.2025 को सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम व आरोपी श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार एवं दिनेश कुमार मीणा व सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता तथा दिनांक 13.05.2025 को परिवादी ईश्वरचन्द व आरोपी राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी के मध्य मोबाइल वार्ता एवं रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम लेन देन प्रयास वार्ता, द्वितीय वार्ता को पृथक-पृथक डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड्स में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त पृथक-पृथक डीवीआर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड्स को निकालकर अन्य उपकरण (कार्ड रीडर) में लगाकर कार्यालय के सरकारी लैपटॉप से उक्त वार्ताओं की पृथक-पृथक हैश वैल्यू की गणना कर सीधे ही 05 पैन ड्राईव में प्रतिलिपिकरण मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से तैयार करवाई गई। उक्त पैन ड्राईव में से 03 पैन ड्राईव आरोपीगण के लिए एवं 01 पैन ड्राईव एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग-अलग कपडे की थैली में रखे जाकर सील मोहर किए गए, एवं कपडे की थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनशील्ड रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.05.2025 हेतु प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को 01 कपड़े की थैली में, रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 13.05.2025 हेतु प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को 01 कपड़े की थैली में तथा दिनांक 13.05.2025 को मोबाइल वार्ता व रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता के मैमोरी कार्ड को 01 कपडे़ की थैली में बतौर वजह सबूत न्यायालय के लिए कुल 03 कपड़े की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। फर्द प्रतिलिपिकरण जब्ती पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड्स पृथक से मुर्तिब की गई। समय 3.51 एएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 द्वारा सरकारी मोबाइल में लगे नया मैमोरी कार्ड लगवाकर मोबाइल को मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि.292 से करवाई गई थी। उक्त मैमोरी कार्ड को मेरे निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से अन्य उपकरण (कार्ड रीडर) में लगाकर कार्यालय के सरकारी लैपटॉप से उक्त वीडियो रिकॉर्डिंग में उपलब्ध समस्त 02 क्लिपिंग की पृथक-पृथक हैश वैल्यू की गणना कर 01 पेन ड्राईव में सीधे ही प्रतिलिपिकरण करवाकर ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत न्यायालय के लिए 01 कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए तथा पेनड्राईव को अनुसधांन अधिकारी हेतु अनशील्ड रखा गया। फर्द प्रतिलिपिकरण जब्ती पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की गई। समय 6.45 एएम पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छावडी के समक्ष बमौजूदगी सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार गौतम के कार्यवाही हाजा के रिश्वत लेन देन के घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 7.30 एएम .पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम के भूमि रूपान्तरण व सर्मपण से संबंधित पेण्डिग कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां तहसीलदार तहसील चेचट के कार्यालय से प्राप्त हुई जिन्हें बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 8.30 एएम पर कार्यवाही हाजा में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण 1.श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार एवं श्री दिनश कुमार होमगार्ड 1632 को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मय तहरीर दी जाकर श्री राजपाल सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री राजूराम कानि.276, श्री मोहम्मद शरीफ कानि. 288 मय प्राईवेट वाहन के राजकीय चिकित्सालय, चेचट कोटा के लिए रवाना किया गया। समय 9.00 एएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर श्री राजपाल सिंह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री राजूराम कानि. 276, श्री मोहम्मद शरीफ कानि. 288 मय प्राईवेट वाहन के राजकीय चिकित्सालय, चेचट कोटा बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर नतीजा रिपोर्ट प्राप्त कर वापस आए। गिरफ्तारषुदा आरोपीगण की निगरानी हेतु श्री राजूराम कानि. 276, श्री मोहम्मद शरीफ कानि.288 व श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 को मुर्करर किया गया। समय 09.15 एएम पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि-मेरे भाई तहसीलदार चेचट श्री भरत कुमार यादव व उनके दलाल गार्ड दिनेश कुमार को रिश्वती राशि देने पर आप द्वारा दोनों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की जा रही है तथा मेरे ऊपर भी राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी को एसीबी टीम लेकर आने का संदेह होने के कारण श्री राकेश कुमार एएओ अब मुझसे किसी भी सूरत में रिश्वती राशि ग्रहण नहीं करेगा। अतः मेरे द्वारा आपके समक्ष पेश किए गए 1,00,000/-रूपये को मुझे लौटाने की कृपा करें । समय 09.50 एएम .पर स्वतंत्र गवाहान श्री गुलशन कुमार व श्री मयंक छावडी के समक्ष परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम को आरोपी श्री राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी को देने हेतु जरिए फर्द पेशकशी दिनांक 13.05.2025 को पेश की गई रिश्वती राशि 1,00,000/-रूपये जो गवाह श्री मयंक छावडी के पास सुरक्षित रखवाए गए थे, को रिश्वती राशि नोट पर लगे फिनाप्थलीन पाउडर को भली भांति

झाड़कर व साफ करवाकर वापस लौटाए गए। फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। 14.05.2025 समय 10.30 एएम .पर इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान व गिरफ्तारशुदा आरोपीगण एवं मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी-1, पी-2, बी-1, बी-2 व पैकिट मार्क "पी", "बी" तथा जब्तशुदा रिश्वत राशि 25,000/-रूपये सील्डशुदा पेनड्राइव व मैमोरी कार्ड के पैकिट तथा ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, सरकारी मोबाइल आदि के प्राईवेट वाहन से कोटा के लिए रवाना हो समय 01.30 पीएम पर कार्यालय में पहुंचा तथा जब्तशुदा रिश्वत राशि 25,000/-रूपये का लिफाफा, धोवन की शीशियां मार्क आर.एच.-1, आर. एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी-1, पी-2, बी-1, बी-2 व पैकिट मार्क "पी" व "बी", जब्त व सील्डशुदा पेनड्राइव व मैमोरी कार्ड के पैकिट को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से श्री भरत कुमार यादव तहसीलदार, तहसील चेचट, कोटा एवं श्री दिनेश कुमार मीणा, होमगार्ड 1632 जिला कोटा ग्रामीण हाल कार्यालय तहसीलदार चेचट, कोटा द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम के भूमि रूपान्तरण एवं सर्मपण की पत्रावली को तहसील स्तर से परिवादी के पक्ष में निस्तारण करने की एवज में तहसीलदार द्वारा परिवादी ईश्वरचन्द से 25,000/-रू. फीस के रूप में रिश्वत की मांग कर अपने गार्ड श्री दिनश कुमार को देने हेतु कहना, दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी के भाई श्री गिरीश कुमार का तहसीलदार से मिलकर अपने भाई की पत्रावली का कार्य पूर्ण करने की एवज में तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय के गार्ड को रिश्वत देने हेतु कहना, गार्ड दिनेश कुमार का तहसीलदार से मिलकर सहपरिवादी श्री गिरीश कुमार की ओर इशारा कर, बुलाकर कार्यालय के पीछे एकान्त में ले जाकर रिश्वती राशि 25,000/- रूपये ग्रहण करना, रिश्वती राशि गिनकर दिनेश कुमार द्वारा अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखना, तत्पश्चात सहपरिवादी का वापस तहसीलदार के कक्ष में जाकर तहसीलदार से रिश्वती राशि गार्ड को देने बाबत अवगत करवाने पर तहसीलदार द्वारा यह कहना कि "ठीक है धन्यवाद", रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनेश कुमार की पहनी हुई पेन्ट की बाईं जेब से बरामद होना, दिनेश कुमार के दोनों हाथो, पेन्ट की जेब व थैली के धोवन का रंग गुलाबी व हल्का गुलाबी प्राप्त होना, दौराने सत्यापन दिनांक 12.05.2025 को आरोपी श्री राकेश कुमार एएओ कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी द्वारा परिवादी श्री ईश्वरचन्द गौतम से एसडीएम रामगंजमण्डी के लिए 90,000/-रूपये व स्वयं के लिए 20,000/-रूपये रिश्वत की मांग करना, परिवादी के राशि कम करने का निवेदन करने पर कुल 1,00,000/-रूपये लेने पर सहमत होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से 1. श्री भरत कुमार यादव पुत्र श्री मेहरचन्द यादव जाति अहीर उम्र 48 साल निवासी ए-99 अनसल टाउन जिला अलवर हाल तहसीलदार, तहसील चेचट, जिला कोटा 2.श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी ग्राम धाईपुरा तहसील चेचट, जिला कोटा हाल होमगार्ड नंबर 1632 जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए 12 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 एवं धारा 61 (2) बी.एन.एस. का अपराध एवं 3. श्री राकेश कुमार एएओ, कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी के विरूद्ध धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार एसडीएम रामगंजमण्डी द्वारा परिवादी श्री ईश्वरचन्द के एसडीएम रामगंजमण्डी से भूमि रूपान्तरण की पत्रावली के संबंध में मिलने पर उसके द्वारा यह कहना कि-"आप राकेश से मिल लो व दोनों मिल बैठकर पैसे तय कर लेना" तथा दौराने सत्यापन भी राकेश कुमार एएओ द्वारा एसडीएम के लिए 90 हजार रिश्वत की मांग करना इत्यादि कथनों से एसडीएम रामगंजमण्डी की भूमिका संदिग्ध होने से एसडीएम रामगंजमण्डी की संदिग्ध भूमिका के संबंध में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। इस प्रकार आरोपीगण 1. श्री भरत कुमार यादव पुत्र श्री मेहर चन्द यादव जाति अहीर उम्र 48 साल निवासी ए-99 अनसल टाउन जिला अलवर हाल तहसीलदार, तहसील चेचट कोटा 2. श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा जाति मीणा उम्र 47 साल निवासी ग्राम धायपुरा तहसील चेचट जिला कोटा हाल होमगार्ड 1632 कार्यालय तहसीलदार चेचट कोटा के विरूद्ध धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एवं 3. श्री राकेश कुमार मुंजी पुत्र स्व. श्री दीपचंद मुंजी उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 20, सुकेत रोड हिम्मत नगर रामगंजमण्डी, कोटा हाल अति. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी कोटा के विरूद्ध धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 में अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है तथा एसडीएम रामगंजमण्डी की भूमिका संदिग्ध होना पाया गया है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (मुकुल शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा...............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.यू. कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. श्री भरत कुमार यादव पुत्र श्री मेहर चन्द यादव जाति अहीर उम्र 48 साल निवासी ए-99 अनसल टाउन जिला अलवर हाल तहसीलदार, तहसील चेचट कोटा 2. श्री दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री भागीरथ मीणा जाति मीणा उम्र 47 साल निवासी ग्राम धायपुरा तहसील चेचट जिला कोटा हाल होमगार्ड 1632 कार्यालय तहसीलदार चेचट कोटा के विरूद्ध धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एवं 3. श्री राकेश कुमार मुंजी पुत्र स्व. श्री दीपचंद मुंजी उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 20, सुकेत रोड हिम्मत नगर रामगंजमण्डी, कोटा हाल अति. प्रशासनिक

अधिकारी, कार्यालय एसडीएम रामगंजमण्डी कोटा के विरूद्ध धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कालूराम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 290 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 666-71 दिनांक 15-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:- 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर। 3- जिला कलक्टर, कोटा, 4-समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र कोटा 5-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALU RAM VERMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/05/2025 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/07/1975				
2	Male	26/09/1998				
3	Male	21/05/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)